फर्द अहकाम

अज अदालत–न्यायालय जिला कलक्टर–मुकाम–भरतपुर

लक्ष्मी देवी बनाम लो.सू.अधि. नगर निगम भरतपुर

किस्म मुकदमा अपील **RTI** नम्बर 20 सन् 2024

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनियशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये |
|---|---|---|
| 16.04.2024 | प्रार्थी/अपीलान्ट लक्ष्मी देवी निवासी मकान नं 289 निकट सूरजपोल गेट, मौहल्ला गोपालगढ, भरतपुर की यह अपील आर टी आई के तहत नगर निगम भरतपुर के खिलाफ प्राप्त हुई है। अपील दर्ज रजिस्टर हो।<br><br>प्राप्त अपील का अवलोकन किया गया। अपील के साथ संलग्न फोटो प्रति पत्रादि से जाहिर है कि प्रार्थी ने आर.टी.आई. के तहत प्रेषित प्रार्थना पत्र में लोक सूचना अधिकारी आयुक्त, नगर निगम भरतपुर द्वारा सूचना उपलब्ध नही कराये जाने के कारण आर.टी.आई. के तहत इस कार्यालय को प्रेषित की गई है।<br><br>आर.टी.आई. एक्ट के तहत लोक सूचना अधिकारी आयुक्त नगर निगम भरतपुर के खिलाफ अपील सुनवाई का क्षेत्राधिकार मेयर, नगर निगम भरतपुर को है। अतः प्राप्त मूल अपील को लौटाई जाकर अपीलार्थी को लिखा जावे कि वह नियमानुसार सीधे ही सक्षमे मेयर, नगर निगम भरतपुर को अपील प्रस्तुत करें। पत्रावली बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।<br><br>जिला कलक्टर<br>भरतपुर | 286<br>29/04/24<br>मूल अपील लौटाई। |